



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार

१४, अशोक मार्ग, लखनऊ - २२६ ००१

CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या : 333/मा०सं०(04)/उ०निलि०/2016-03(18)-मा०सं०(04)/2015

दिनांक 24 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० एवं वितरण कम्पनियों तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उत्तर प्रदेश शासन की अनुरूपता में पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण का पुनरीक्षण किये जाने विषयक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 500-पें० एवं आर०-28/पाकालि/15-60-पी/98 दिनांक 14.05.2015 (छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न) को उसमें प्राविधानित नियमों एवं अन्य शर्तों को यथावत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी उक्त लाभ प्रदान करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में सहर्ष अंगीकृत किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 333 (I) मा०सं०-04/उ०निलि/2016 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- समस्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ के निजी सचिव/स्टाफ आफिसर।
- 3- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी तापीय परियोजना, अनपरा, सोनमद्र/ओबरा, सोनमद्र/कासिमपुर, अलीगढ़/पारीछा, झांसी/पनकी, कानपुर।
- 4- मुख्य महाप्रबन्धक, (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी तापीय परियोजना, अनपरा, सोनमद्र/ओबरा, सोनमद्र/कासिमपुर, अलीगढ़/पारीछा, झांसी/पनकी, कानपुर।
- 6- महाप्रबन्धक, मानव संसाधन/01 एवं 06, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, मानव संसाधन - 01,02,03,04,05, एवं 06/रिफार्म/ईधन/जानपद - नव परियोजनार्थ/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/वाणिज्य, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
- 9- सलाहकार (चिकित्सा), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- कम्पनी सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, नवीं तल, लखनऊ।
- 11- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उ० प्र० लखनऊ, 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, 22 ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर भुइयन, लखनऊ।
- 13- महासचिव, विद्युत पेन्शनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, 86/92-ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
- 14- लेखाधिकारी (वैतन एवं लेखा)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 15- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/वी-46, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाईट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 16- कट फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार शर्मा)
अविशासी अभियन्ता (मा०सं०-04)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 500-पै०एवंआ०-28/पाकालि/15-60-पी/98

दिनांक : 14 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त अपने सिविल पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों के पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक निर्गत कार्यालय संख्या-सा-3-1515/दस-2008/308/97 दिनांक 08.12.2008 को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं वितरण कम्पनियों एवं ट्रांसको के पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों हेतु संगत अन्य शासनादेशों सहित कार्यालय ज्ञाप संख्या-397-पै० एवंआ०-28/पाकालि/09-60पी/98 दिनांक 02.03.2009 द्वारा कतिपय संशोधनों सहित अंगीकृत के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2006 से कारपोरेशन के आदेश संख्या-5226-पै० एवंआ०-28/पाकालि/09-60पी/98 दिनांक 22.11.2010 के द्वारा शासनादेश संख्या-3-1358/दस-2010 दिनांक 19.07.2010 को अंगीकृत कराये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम पेन्शन निर्धारित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. उ०प्र० शासन के द्वारा उक्त शासनादेश संख्या-3-1358/दस-2010 दिनांक 19.07.2010 को संशोधित करते हुये कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या-सा-3-जी०आई०-02/दस-2014-308/97टी०सी० दिनांक 14.07.2014 में दी गयी व्यवस्था को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में इस प्रतिबन्ध के साथ अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया है कि इस आदेश के जारी होने की तिथि तक न तो कोई अवशेष देय होगा और न ही घटी दरों के कारण कोई वसूली की जायेगी अर्थात् कारपोरेशन के पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों के सम्बन्ध में न्यूनतम पेन्शन की संशोधित दरें वास्तविक व्यवहार में तत्काल प्रभाव में लागू होगी।

3. तदनुसार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के सम्बन्ध में अब लागू न्यूनतम पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन की दरों के विवरण की तालिका अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है; जिसके अनुसार न्यूनतम पेन्शन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेन्शन निर्धारित की जानी है।

क्रमशः.....2

Bish

116

4. उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-5226-पें0एवंआर0-28 /पाकालि/09-60पी/98 दिनांक 22.11.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5350-पें0एवं आर0-28/पाकालि/09-60पी0 एण्डआर0/98 (टी0सी0) दिनांक 14.12.2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापों की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।


संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 500-पें0एवंआर0-28/पाकालि/15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।
7. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।



क्रमशः.....3

12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेन्शन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
15. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेन्शनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
16. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाल बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/गुरुद्वारा रोड, इलाही काम्पलेक्स, निकट वेव सिनेमा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस-11, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
17. प्रबन्धक, (सी0पी0पी0सी0), सेन्ट्रलाइज्ड पेन्शन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. कट फाईल।

आज्ञा से,



(एच0पी0 वर्मा)

अपर सचिव (तृतीय)

Binn

कार्यालय ज्ञाप सं: 500-पं0रवआर0-28/पाकालि/15-60-पी/98टी0सी0

दिनांक 14 मई, 2015 का अनुलग्नक-क

कम सं0	01.01.96 से लागू अनुसरीक्षित वेतनमान	01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन बैंपड	सादरय ग्रेड वेतन	कार्यालय ज्ञाप सं: 5226, दि0 22-11-10 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन	संशोधित न्यूनतम पेंशन	संशोधित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
1	2	3	4	5	6	7
1.	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंपड-1 5200-20200	1900	3865	3890	3500
2.	3200-85-4900	वेतन बैंपड-1 5200-20200	2000	4230	3980	3500
3.	3500-85-5455	वेतन बैंपड-1 5200-20200	2200	4355	4355	3500
4.	4200-100-6400 (यात्रिक सर्वा के लिये प्रारम्भिक वेतन 4300/-)	वेतन बैंपड-1 5200-20200	2600	5300	5210	3500
5.	4500-125-7500 (यात्रिक सर्वा के लिये प्रारम्भिक वेतन 4625/-)	वेतन बैंपड-1 5200-20200	3000	5805	5685	3500
6.	5300-150-8600 (अवर अभियन्ताओं को छोड़कर)	वेतन बैंपड-2 9300-34800	4200	7030	7030	4218
7.	5300-150-8600-175-9100 (अवर अभियन्ता सर्वा के लिये प्रारम्भिक वेतन 5600/-)	वेतन बैंपड-2 9300-34800	4200	7030	7030	4218
8.	5850-175-9000-200-9400	वेतन बैंपड-2 9300-34800	4200	7030	7545	4527
9.	6000-200-10400	वेतन बैंपड-2 9300-34800	4200	7030	7680	4608
10.	6500-200-10500-250-11000	वेतन बैंपड-2 9300-34800	4800	9075	8445	5067
11.	8550-275-13500 (अभियन्ता सर्वा के लिये प्रारम्भिक वेतन 9375/-)	वेतन बैंपड-3 15600-39100	5400	10540	10655	6393
12.	10650-325-15200 (अभियन्ता सर्वा के लिये प्रारम्भिक वेतन 11300/-)	वेतन बैंपड-3 15600-39100	6600	12875	13205	7923
13.	14300-400-18300 (अभियन्ता सर्वा के लिये प्रारम्भिक वेतन 15100/-)	वेतन बैंपड-4 37400-67000	8700	23950	23050	13830
14.	16400-450-20000 (अभियन्ता सर्वा के लिये प्रारम्भिक वेतन 17300/-)	वेतन बैंपड-4 37400-67000	8900	24550	24295	14577
15.	18400-500-22400 (अभियन्ता सर्वा के लिये प्रारम्भिक वेतन 18900/-)	वेतन बैंपड-4 37400-67000	10000	26500	27350	16410
16.	21350-525-23975	63000-78000	-	31500	31500	18900
17.	22400-525-24500	67000-69000	-	33500	33500	20700

(सदर यंत्र) (सदर यंत्र)
अपर सचिव-3